



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 18.06.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.06.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शिवालाकलां	गौरव पुत्र तारा सिंह नि० ग्राम रतनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
2	धामपुर	निरंजन पुत्र पर्सी नि० ग्राम ढक्का कर्मचन्द थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3	धामपुर	दलीप सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह सैनी नि० ग्राम गजरौला थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4	नगीना	हिमांशु पुत्र अनुप सिंह निवासी ग्राम खानपुर मानक थाना नगीना जनपद बिजनौर
5	मण्डावली	परवेज पुत्र महफूज निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
6	कोतवाली शहर	मंसूर पुत्र इदरीश निवासी मौ० चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7	हीमपुर दीपा	शाहिद उर्फ गिद्धा पुत्र इलियास नि० ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा बिजनौर









जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 18.06.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 72/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 06.06.2025 को वादी जाकिर पुत्र अहसान निवासी ग्राम पुट्ठा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 04.06.2025 को उसके गांव के निवासी अभियुक्तगण 1.जाकिर 2.शाकिर 3.मीरु पुत्रगण रशीद 4.दानिश पुत्र जाकिर 5.फैय्याज 6. मोनिस पुत्रगण कय्यूम 7.फहीम पुत्र मीरु 8. मुस्तफा पुत्र सगीर द्वारा लाठी डण्डो व धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वादी के चचेरे भाई बाबू खान, फिरोज खान पुत्रगण जलालुद्दीन व शाकिर पुत्र छममन खां के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की, जिससे उन्हे चोटे आयी तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 72/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352 बीएनएस बनाम 08 नफर पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 18.06.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 72/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त फैय्याज पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पुट्ठा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.फैय्याज पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पुट्ठा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.उ0नि0 कर्मवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 356 प्रकाशवीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 18.06.2025

थाना नहतौर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.06.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम/एक्स) पर वीडियो वायरल हुआ । वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि फारुक अंसारी पुत्र याकूब अंसारी निवासी मो0 ईदगाह कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट की गयी है । इस सम्बंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 155/25 धारा 353(2) बीएनएस व 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया है ।



कार्यवाही –

थाना नहतौर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त फारुक अंसारी पुत्र याकूब अंसारी निवासी मो0 ईदगाह कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को एक मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फारुक अंसारी पुत्र याकूब अंसारी निवासी मो0 ईदगाह कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण

एक मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 अशोक मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 131 शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.का0 749 राजदीप सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर